बच्चों से शिक्षकों द्वारा की गई मारपीट व अभद्र भाषा की शिकायत पर जांच शुरु

कमेटी के सदस्यों ने शिक्षकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों से तथ्य जुटाए

भरतपुर, (निस)। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहे न्यू मथुरा गेट राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के बच्चों की शिक्षकों द्वारा बुरी तरह मारपीट एवं अभद्र भाषा की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम सोमवार को विद्यालय पंहुची।

वहां मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य दिनेश सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय टीम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा के प्रधानाचार्य दिलीप गर्ग व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनारी की प्रधानाचार्या रितु कुन्तल ने विद्यालय के विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों से करीब 15 बिन्दुओं के आधार पर घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली। जिसमें बच्चों को विद्यालय के शिक्षकों के नाम, पढ़ाए जाने वाले विषयों के शिक्षकों, शिक्षकों के व्यवहार, विद्यालय में मोबाइल चलाने सहित कई बिन्दुओं पर राय जानी। इसी प्रकार बच्चों के अभिभावकों से भी विद्यालय की स्थिति पढ़ाई का स्तर, शिक्षकों के व्यवहार आदि पर जानकारी ली गई। इसी प्रकार विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रजनी एवं शिक्षकों से भी बिन्दुवार जानकारी ली गई। वहीं जब जांच कमेटी के द्वारा की जा रही जांच की खबर स्थानीय कॉलोनी के नागरिकों को मिली तो वे भी विद्यालय पहुंच गए।

तीन सदस्यीय जांच टीम ने स्कूल में जाकर विद्यार्थियों से जानकारी ली।

- अगले दो दिन में तीन सदस्यों की जांच कमेटी तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करेगी
- 26 सितम्बर को न्यू मथुरा गेट राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के एक दर्जन विद्यार्थियों ने अति. कलेक्टर प्रशासन को शिकायत दी थी

स्थानीय निवासियों का कहना था कि मारपीट की घटना काफी गंभीर है। जिसमें बच्चों को बुरी तरह पीटा गया है तो यह गलत है। इसकी निष्पक्ष जांच की जानी है। 26 सितम्बर को न्यू मथुरा गेट राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के करीब एक दर्जन विद्यार्थियों ने अति. जिला कलेक्टर प्रशासन को शिकायत देकर बताया था कि विद्यालय के शिक्षक राहुल, चेतन व महिला शिक्षिका आशा पर बुरी तरह मारपीट व अभद्र व्यवहार किया है। बच्चों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा को अपनी चोटें भी दिखाई थी, जिस पर उन्होंने शिक्षा विभाग को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

सुरक्षा गार्ड से मारपीट मामले में इनामी बदमाश गिरफ्तार

धौलपुर, (निसं)। डीएसटी टीम धौलपुर और मनियां सीओ कार्यालय द्वारा कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग धौलपुर के सुरक्षा गार्ड से की मारपीट के मामले में फरार चल रहे

- दूसरे इनामी बदमाश संजय वर्मा की तलाश जारी
- परिवहन विभाग धौलपुर के सुरक्षा गार्ड से मारपीट का मामला

डीएसटी टीम धौलपुर व मनियां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

15 हजार रुपये के ईनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस अब मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। मनियां सीओ राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में रामदीन गुर्जर पुत्र लायकसिंह गुर्जर निवासी भैंरो का पुरा मौरोली हाल गुर्जर कौलोनी जीटी रोड धौलपुर को वाटरवर्क्स चौराहा से गिरफ्तार किया है।

मनियां सीओ राजेश कुमार ने बताया कि 19 नवंबर 2009 को नेशनल हाईवे स्थित बगचौली मोड़ के पास परिवहन विभाग धौलपुर के सुरक्षा गार्ड द्वारा अवैध वाहनों की रोकथाम करने पर जबरदस्ती अवैध वाहनों को निकालकर व सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के सम्बन्ध में दूसरे दिन 20 नवंबर को एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था।

उन्होंने बताया कि इसके बाद उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा वर्ष 2014 में उक्त प्रकरण के अनुसन्धान पर रोक होने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। उच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2024 में उक्त अनुसन्धान से रोक को हटाये जाने के आदेश प्राप्त होने पर प्रकरण में कार्रवाई की गई। जिसमें फरार चल रहे आरोपी रामदीन गुर्जर पुत्र लायक सिंह डीएसटी प्रभारी दीनदयाल मय टीम द्वारा कांस्टेबल अश्विनी, गौरव सीओ कार्यालय मनियां की सूचना पर वाटरवर्क्स चौराहे से गिरफ्तार किया है।

मनियां सीओ राजेश कुमार ने बताया कि बदमाश रामदीन गुर्जर की गिरफ्तारी पर एसपी धौलपुर की ओर से 15 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। उसी प्रकरण में अब बदमाश रामदीन गुर्जर का साथी बदमाश संजय वर्मा फरार चल रहा है, जिस पर भी 15 हजार रुपये का ईनाम घोषित है। सीओ ने बताया कि बदमाश संजय वर्मा की तलाश जारी है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

सैनिटरी नैपकिन गबन मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। उड़ान योजना में गबन कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के मामले में बासनी पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस नोएड़ा से संजय झा को गिरफ्तार कर जोधपुर लाई है। संजय झा नोएड़ा में ऑनलाइन बिजनेस का काम करता है। इसी ने प्रदेश में निशुल्क सप्लाई होने वाले सैनिटरी पैड को गिरोह के लोगों से सस्ते दामों में खरीदा था। पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी। इससे पहले इस मामले से जुड़े कई लोगों को बासनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

बासनी पुलिस के अनुसार नोएड़ा निवासी संदीप कुमार पुत्र मिहिरकांत झा को पुलिस गिरफ्तार कर थाने लाई है। आरोपी सरकारी निशुल्क पैड योजना के गबन मामले में आरोपी है जिसकी पुलिस लम्बे समय से तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि संजय ने प्रदेश में निशुल्क वितरित होने वाले सैनिटरी पैड को गिरोह के लोगों से सस्ते दामों में खरीदा था और उसका रेपर बदलकर महंगे दामों में बेच रहा था। पुलिस अब उससे इस मामले की पूरी जानकारी जुटा रही है।

यह था मामला :-गत 21 मई की रात जीएसटी चोरी के संदेह में सीजीएसटी इंस्पेक्टर लीलाधर जाट व उनकी टीम जोधपुर के सांगरिया रोड पर नाकाबंदी कर ट्रक, टेलर और कंटेनर की जांच कर रही थी। इसी दौरान हरियाणा नंबर का एक कंटेनर आया। टीम को शक हुआ तो कंटेनर को खोला गया, जहां प्लास्टिक के कट्टों में सैनिटरी पैड भरे हुए थे। ड्राइवर से इसकी बिल्टी मांगी तो उसने पोकरण से नोएड़ा की बिल्टी दी। टीम ने कट्टों को खुलवाकर जांच की तो सैनिटरी पैड पर राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क वितरण का टैग लगा हुआ था। ड्राइवर से इन फ्री पैड की राजस्थान से नोएडा में सप्लाई का कारण पूछा तो वह जवाब नहीं दे पाया। जीएसटी की टीम ने कालाबाजारी के शक में बासनी पुलिस को सूचना दी। बासनी पुलिस ने मामला दर्ज किया और खेतड़ी निवासी कंटेनर ड्राइवर कैलाश धानका को गिरफ्तार किया था। इस कंटेनर में उड़ान योजना के 1 लाख 85 हजार सैनेटरी पैड थे, जो नोएड़ा सप्लाई होने जा रहे थे।

चंदन के पेड़ चोरी करने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। गुलाबबाग में गार्ड को बंधक बनाकर चंदन पेड़ काटकर चुरा ले जाने वाली गैंग के मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

प्रकरण के अनुसार 17 जुलाई को पीड़ित दशरथ सोनी पुत्र चांदमल सोनी निवासी ब्रम्हपोल हॉल गुलाब बाग गार्ड ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि मैं व साथी राजकुमार कुमावत दोनों ड्यूटी पर थे। रात में नकाब पहनकर आए अज्ञात छह व्यक्ति धारदार हथियार दिखाकर एकांत में ले जाकर बंधक बना बिठा दिया। इस दौरान उनके साथी गेट के पास लगे दो चंदन के पेड़ काट कर चुरा ले गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर गठित दल ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर उदयलाल पुत्र गंगाराम निवासी पुरबिया को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कई जिलों में 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

टोमेटो केचप की आड़ में ले जाई जा रही 50 लाख की शराब पकड़ी

हरियाणा से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी शराब, एक गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कोटा जिले की कैथून थाना एरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। यह शराब हरियाणा से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस को 327 पेटी में बीयर और शराब की बोतलें मिली हैं। इसकी प्रारंभिक तौर पर कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है जिसे टोमेटो केचप की आड़ में तस्करी कर ले जाया जा रहा था।

जानकारी के अनुसार मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ट्रक और शराब को भी जब्त किया गया है। ट्रक में एक फर्जी नंबर प्लेट भी मिली है जो गुजरात की थी। ट्रक पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई है। ऐसे में पुलिस इस पूरे प्रकरण के मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गुजरात में गरबे के दौरान इस अवैध शराब को खपाया जाना था। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कैथून थाना क्षेत्र में थानाधिकारी सुरेश कुमार और साइबर सेल के सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। इस मामले में बाड़मेर जिले के नागाणा थाना निवासी चालक 23 वर्षीय स्वरूप राम जाट के ट्रक को रुकवाया गया।

- ट्रक में एक फर्जी नंबर प्लेट भी मिली जो गुजरात की थी, ट्रक पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी थी
- पूछताछ में सामने आया है कि गुजरात में गरबे के दौरान इस अवैध शराब को खपाया जाना था

इसके संबंध में मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध रूप से शराब को ले जाया जा रहा है। जब ट्रक को चेक किया गया तो उसमें टोमेटो केचप के कार्टन रखे हुए थे लेकिन पुलिस को इस पर पहले से ही शक था। ऐसे में गहनता से जांच की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि टोमेटो केचप की पेटियों के बीच में अवैध शराब और बीयर की पेटियां भी रखी हुई हैं। इस पर ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक चालक का कहना है कि वह हरियाणा के नंबर का उपयोग राजस्थान और हरियाणा में करता था, जबकि गुजरात बॉर्डर के तुरंत पहले गुजरात के नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता था।

थ्रेशर मशीन की चपेट में आया बालक, मौत

हिंडौन सिटी, (निसं)। बरगमा स्थित मूल्याकापुरा में रविवार को थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से घायल बच्चे की मौत हो गई। घायल को जिला अस्पताल में गंभीर स्थित में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। इस दौरान बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया।

- प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया, इस दौरान बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया

सदर थाना एएसआई अशोक कुमार ने बताया-मृतक मूल्याकापुरा निवासी चंदन (15) पुत्र ज्ञान सिंह है। सर्जन डॉक्टर मनोज जांगिड़ ने बताया कि रविवार को दोपहर के वक्त गम्भीर रूप से घायल बालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसमें थ्रेसर मशीन से बालक के हाथ और पैर गम्भीर रूप से जख्मी हो गए थे। जिसका प्राथमिक उपचार कर गम्भीर हालात होने पर जयपुर के लिए रेफर किया गया था। परिजनों ने बताया किजयपुर ले जाते समय 3 बजे सिकंदरा के पास बालक ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद शव लेकर राजकीय जिला अस्पताल पहुंचे। शव को मॉर्च्यूरी में रखवाया। परिजनों ने बताया कि 12 साल पहले बच्चे के पिता की मौत हो चुकी है। मृतक बालक के बड़े भाई व दो बड़ी बहनें है। परिवार में वह सबसे छोटा पुत्र था। मामले में परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कार्रवाई के दौरान कोई रिपोर्ट नहीं दी।

मोबाइल चोर गिरफ्तार, 11 मोबाइल बरामद

उदयपुर, (निसं)। टीडी थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से ग्यारह मोबाइल बरामद किए।

प्रकरण के अनुसार 27 सितंबर को नवीनक प्रकाश पूर्बिया पुत्र मोहनलाल निवासी बनोड़ा सलूम्बर हाल टीडी नाल रामदेव होटल ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीड़ित ने बताया कि में टीडी में होटल चलाता हूं। 24 सितंबर तड़के अज्ञात आरोपी दो मोबाइल व 700 रूपये नकदी चुरा ले गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर गठित दल ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी भगा उर्फ भगवतीलाल पुत्र शंकरलाल निवासी गिंगला सलूम्बर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए 11 मोबाइल बरामद किए। आरोपी के खिलाफ 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

'पूर्व महाराजा सूरजमल की छतरी तोड़ना लोगों की आस्था से खिलवाड़'

कोटा, (निसं)। कोटा उत्तर पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने तुलसी गांव बूंदी में पूर्व नरेश सूरजमल हाड़ा की 500 साल से भी ज्यादा पुरानी रियासतकालीन छतरी को केडीए द्वारा तोड़े जाने पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है।

गुंजल सोमवार को बूंदी के तुलसी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करके कहा कि यह छतरी तोड़ने का विषय नहीं है। पूर्व महाराजा सूरजमल हाड़ा की छतरी तोड़ना लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सर्व समाज इसमें गहरी आपत्ति प्रकट करता है हमें भी आपत्ति है। गुंजल ने कहा सर्व समाज जो भी निर्णय करेगा उसमें हम उनके साथ है। उन्होंने कहा कि यह कोई अतिक्रमण करके बनी छतरी नहीं है। यहां आकर मेरी जानकारी में आया है कि उनकी 14 बिस्वा आवंटित खाते की जमीन पर बनी छतरी को केडीए ने बिना ग्रामीणों से चर्चा करे मवालियों की तरह आकर तोड़ दिया है जो लोगों की आस्था के साथ मजाक है। गुंजल ने कहा यह सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं सर्व समाज की आस्था का प्रतीक है। जिसके चलते समाज जो भी निर्णय करेगा उसमें हम उनके साथ हैं।

कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पूर्व महाराजा सूरजमल की तोड़ी हुई छतरी के पास पहुंचे।

बाइक चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। शहर के सूरजपोल थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से बाइक बरामद की।

जानकारी के अनुसार 10 जुलाई को हेमन्त कुमार पुत्र महेश कुमार टेलर निवसी नटराज गली ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि 30 जून रात में मकान के बाहर बाइक खड़ी की थी, जिसे अज्ञात चोर चुरा ले गया। मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगनपुरोहित के सुपरविजन में सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुरेश पुत्र रावा निवासी आवरीमाता कच्ची बस्ती हिरणमगरी एवं दीपेश राज उर्फ दीपक पुत्र रमेशको दस्तयाब कर पूछताछ की तो दोनों ने बाइक चोरी करना स्वीकार किया।

छत से गिरकर चार साल के बालक की मौत

मालपुरा, (निसं)। लाम्बाहरिसिंह थाना क्षैत्र की देवल ग्राम पंचायत के बाघपुरा गांव में मकान की छत पर खेलते समय असंतुलित हो निचे गिरे चार साल के मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार बाघपुरा निवासी बैजनाथ जाट उर्फ कालू का पुत्र भोलूराम जाट की मकान की छत पर सोमवार को उसका चार साल का मासूम बेटा छत पर खेल रहा था। इसी दौरान असंतुलित होकर छत से निचे गिरने पर बालक अचेत हो गया। मौजूद परिजनों ने तत्परता दिखाते हुये अचेत बालक को लाम्बाहरिसिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने अचेत बालक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बालक के दो बहिने हैं तो चाचा के चार बेटीयां है। दोनो ही भाईयो के परिवार मे ईकलोता बेटा था बालक भोलूराम। छः बहिनो के ईकलोते भाई की हुई मौत से परिवार सदमे मे चला गया। गांव मे कोहराम मच गया। जिसने भी सुना आंखें नम हो गई। सोमवार को मृतक के मौहल्ले मे चुल्हा तक नहीं जला।

चार साल का मासूम बालक।

युवक ने की आत्महत्या :- उदयपुर शहर के सविना थाना क्षैत्र में युवक ने अपने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर 9 निवासी दीपक दशोरा (46) पुत्र अशोक दशोरा ने अपने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। दीपक अपनी मां के साथ रहता था। दो माह पूर्व मां की मौत होने के बाद से वह मानसिक अवसाद में रहता था। इसी के चलते उसने अपने कमरे में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। रविवार को इसका पता चलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक को निचे उतार पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

हत्या का प्रयास करने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। गोगुन्दा थाना पुलिस ने हत्या करने की नियत से युवक तलवार से प्राणघातक हमला करने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त हथियार तलवार बरामद की।

प्रकरण के अनुसार पीड़ित नाहरसिंह पुत्र तेजसिंह निवासी भेवडिया गोगुन्दा ने 26 सितंबर को पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें पीड़ित ने बताया कि 25 सितंबर रात में परिवार सहित मकान में सोए थे।

देर रात में शराब के नशे में तलवार लेकर आया, जिसने सवेरे नौकरी जाने के लिए मेरे भाई जालमसिंह को बातचीत करने के लिए बुलाया। भाई के बाहर आने पर आरोपी तलवार से उस पर हमला कर फरार हो गया। चिल्लाने पर आए परिजनों ने उसे घायलावस्था में उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। मामले में प्रकरण दर्ज होने पर गोगुन्दा थानाधिकारी शैतानसिंह के नेतृत्व में एएसआई विनेश कुमार मय टीम ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर ललित सिंह पुत्र वदनसिंह निवासी भेवड़िया गोगुन्दा को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त हथियार तलवार बरामद की।

चार माह की उम्र में हुये बाल विवाह को 20 साल बाद पारिवारिक कोर्ट ने निरस्त किया

संभवतः पहली बार बाल विवाह निरस्त के प्रकरण में पारिवारिक न्यायालय ने तथाकथित पति से बालिका वधु को वाद खर्च भी दिलवाने का फैसला सुनाया

जोधपुर, (कासं)। महज चार महीने की उम्र में बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ी अनिता को करीब 20 साल तक दंश झेलने के बाद आखिर सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती के संबल से बाल विवाह से मुक्ति मिल गई।

जोधपुर के परिवारिक न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश वरुण तलवार ने अनिता के बाल विवाह निरस्त का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वहीं सारथी ट्रस्ट की डॉ. कृति भारती के प्रयासों से संभवत: पहली बार बाल विवाह निरस्त के प्रकरण में पारिवारिक न्यायालय ने तथाकथित पति से बालिका वधु को वाद खर्च भी दिलवाने की अनूठी नजीर पेश कर फैसला सुनाया। इसके साथ ही सारथी ट्रस्ट की डॉ. कृति भारती ने बाल विवाह निरस्त के मुहिम पर अग्रसर रहकर अब तक 52 मासूम जोड़ों का बाल विवाह निरस्त करवाए हैं।

जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की निवासी किसान परिवार की बेटी 21 वर्षीय अनिता का महज 4 महीने की उम्र में बाल विवाह हुआ था, जिसके बाद से लगातार बाल विवाह का दंश झेलती रही। लगातार ससुराल पक्ष उसका गौना करवा कर ससुराल भेजने का दबाव बनाए हुए था। वहीं कई तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष धमकियां मिल रही थी। इस बीच अनिता को वर्ल्ड टॉप टेन एक्टिविस्ट और बीबीसी 100 इंस्पिरेशनल वूमन सूची में शुमार जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती की बाल विवाह निरस्त की मुहिम के बारे में जानकारी मिली। अनिता ने डॉ. कृति से मुलाकात कर खुद की पीड़ा बयां की। जिसके बाद डॉ. कृति ने अनिता के बाल विवाह निरस्त का वाद जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 में दायर किया।

- जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की निवासी किसान परिवार की बेटी 21 वर्षीय अनिता का महज 4 महीने की उम्र में बाल विवाह हुआ था, 20 साल बाद न्याय मिला

डॉ. कृति भारती ने पारिवारिक न्यायालय में अनिता की ओर से पैरवी कर बाल विवाह और आयु संबंधी तथ्यों से अवगत करवाया। जिसके बाद पारिवारिक न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश वरुण तलवार ने अनिता के महज 4 महीने की उम्र में 20 साल पहले हुए बाल विवाह को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके साथ ही सारथी ट्रस्ट की डॉ. कृति के प्रयासों पर बालिका वधु को न्यायालय ने तथाकथित पति से वाद खर्च दिलवाने का फैसला देकर नई नजीर पेश कर दी।

न्यायाधीश तलवार ने बाल विवाह के खिलाफ समाज को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बाल विवाह केवल कुरीति ही नहीं एक अपराध भी है। इससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। बालिका या बालक बाल विवाह को निरंतर नहीं रखना चाहते हैं तो उनको बाल विवाह निरस्त का अधिकार है। बाल विवाह की कुरीति को मिटाने के लिए समाज के स्तर पर महत्ती प्रयासों की जरूरत है।

डॉ.कृति ने अब तक 52 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त कराए :-देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाने के बाद लगातार मुहिम चलाकर डॉ. कृति भारती ने अब तक 52 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवा रिकॉर्ड कायम कर रखा हैं। देश में 2100 से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। चाइल्ड एंड वूमेन राइट एक्टिविस्ट और एडवोकेट डॉ. कृति का नाम 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स बुक्स में दर्ज हो चुका हैं। डॉ. कृति को जिनेवा से ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। अनिता, बाल विवाह पीड़िता का कहना है कि कृति दीदी की मदद से मैं बाल विवाह की बंदिश से मुक्त हो गई हूं। अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर सपने पूरे करूंगी।